

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

संकल्प

विषय:- मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना" में संशोधन के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में संचालित राजकीय, निजी एवं PPP Mode वाले सभी संस्थानों को मिलाकर नामांकित छात्र-छात्राओं का अनुपात लगभग 6:1 है। राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में नामांकन के प्रति जागरूक करने, आत्मनिर्भर बनाने, तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की सहभागिता बढ़ाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या-175, दिनांक-19.02.2024 द्वारा "मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना" लागू किया गया है।

उक्त योजना के अंतर्गत झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची से संबद्धता प्राप्त अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकित छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। परन्तु झारखण्ड राज्य के अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों में से लक्ष्य-04 (Quality Education) एवं लक्ष्य-05 (Gender Equality) है।

अतः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित उक्त सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने एवं झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी कोर्स में नामांकित छात्राओं को इस योजना का लाभ प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-175, दिनांक-19.02.2024 में संशोधन किया जाता है।

उक्त योजना हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक-03.06.2025 को सम्पन्न हुई बैठक में योजना के स्वरूप में कतिपय संशोधन की अनुशंसा की गयी है।

2. अतः राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु राज्य की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संकल्प संख्या-175 दिनांक-19.02.2024 द्वारा लागू मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

(i) झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी कोर्स में नामांकित छात्राओं को मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने हेतु संकल्प की कंडिका-2(i) एवं 2(ii) में निम्न संशोधन किया जाता है:-

संकल्प की कंडिका	पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2. (i)	"झारखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय/ निजी/ पी0पी0पी0 मोड पर संचालित डिप्लोमा स्तरीय कोर्स में नामांकित तथा झारखण्ड राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स हेतु रू0 15,000/- प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी। Lateral Entry के तहत नामांकित छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य स्थित शैक्षणिक संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा/आई0टी0आई0 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बजटीय आकलन के लिए लगभग 5,000 छात्राओं को इसका लाभ दिए जाने पर कुल लगभग रू0 7.5 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय होने की संभावना है।"	झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी कोर्स में नामांकित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को रू0 15,000/- प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी। Lateral Entry के तहत नामांकित छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य स्थित शैक्षणिक संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा/आई0टी0आई0 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बजटीय आकलन के लिए लगभग 5,000 छात्राओं को इसका लाभ दिए जाने पर कुल लगभग रू0 7.5 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय होने की संभावना है। वैसी छात्राएँ, जिन्होंने 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, परन्तु वह झारखण्ड की स्थानीय निवासी है और उनके पास झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र है, तो ऐसी छात्राएँ भी योजना की पात्र होंगी।
2.(ii)	"झारखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय/ निजी/पी0पी0पी0 मोड पर संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों में बी0टेक/बी0ई0 कोर्स में नामांकित तथा झारखण्ड राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं एवं 12वीं कक्षा (अथवा समकक्ष) उत्तीर्ण छात्राओं को बी0टेक/बी0ई0 कोर्स हेतु रू0 30,000/- प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी। Lateral Entry	झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0टेक/बी0ई0 कोर्स/त्रिवर्षीय अथवा चार वर्षीय तकनीकी कोर्स में नामांकित तथा झारखण्ड राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं एवं 12वीं कक्षा (अथवा समकक्ष) उत्तीर्ण छात्राओं को रू0 30,000/- प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी। Lateral Entry के तहत नामांकित छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं तथा झारखण्ड राज्य स्थित संस्थान से डिप्लोमा/

	<p>के तहत नामांकित छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं तथा झारखण्ड राज्य स्थित संस्थान से डिप्लोमा/ D.Voc./B.Sc. उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बजटीय आकलन के लिए लगभग 1200 छात्राओं को इसका लाभ दिए जाने पर कुल लगभग रू0 3.6 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय होने की संभावना है।”</p>	<p>D.Voc./B.Sc. उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बजटीय आकलन के लिए लगभग 10,000 छात्राओं को इसका लाभ दिए जाने पर कुल लगभग रू0 30.00 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय होने की संभावना है।</p> <p>वैसी छात्राएँ, जिन्होंने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, परन्तु वह झारखण्ड की स्थानीय निवासी है और उनके पास झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र है, तो ऐसी छात्राएँ भी योजना की पात्र होंगी।</p> <p>इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर Integrated B.Tech.-M.Tech. जैसे Integrated Technical Courses में दाखिला लेने वाली छात्राएँ भी इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगी। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति केवल अध्ययन के चौथे वर्ष तक ही देय होगी।</p>
--	---	--

(ii) प्रस्तावित संशोधन शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। अतः संकल्प की कंडिका-2(iii) में निम्न संशोधन किया जाता है:-

संकल्प की कंडिका	पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.(iii)	<p>“योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्राओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा बिना किसी Back Paper (Fail in any subject) के अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रमोट होने पर ही छात्रवृत्ति की राशि अगले वर्ष प्रदान की जायेगी। एक भी Back Paper (Fail in any subject) होने पर छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।”</p>	<p>संशोधित योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्राओं के लिए लागू होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्राओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा बिना किसी Back Paper (Fail in any subject) के अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नत होने पर ही छात्रवृत्ति की राशि अगले वर्ष प्रदान की जायेगी। एक भी Back Paper (Fail in any subject) होने पर छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।</p> <p>इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से पहले प्रवेश लेने वाली कोई भी छात्रा अपने शैक्षणिक कार्यक्रम की शेष अवधि के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि उसे प्रत्येक पूर्ववर्ती पूर्ण सेमेस्टर में बिना किसी Back/Fail Paper के कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हो।</p>

(iii) पूर्व में लाभुकों का चयन झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची द्वारा किया जा रहा था। अब इस योजना का लाभ झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी कोर्स में नामांकित छात्राओं को दिया जाना है। अतः संकल्प की कंडिका-2(vii) में निम्न संशोधन किया जाता है:-

संकल्प की कंडिका	पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.(vii)	<p>“इस योजना के अन्तर्गत लाभुकों का चयन तथा छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि की स्वीकृति हेतु अनुमोदन झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के द्वारा प्रदान किया जायेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची को इस योजना के अन्तर्गत स्कॉलरशिप प्रदान करने हेतु वांछित राशि उपलब्ध करायी जायेगी।”</p>	<p>छात्रवृत्ति के लिए आवेदकों का चयन संबंधित State/Central/Private/Deemed-to-be- University/ Higher Education Institution established by an Act of Government of India द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्ति का वितरण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग योजना के संचालन के लिए झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को वांछित राशि उपलब्ध करायेगा।</p>

(iv) छात्रवृत्ति की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से छात्राओं के Aadhar Linked Bank Account में दी जानी है अतः संकल्प की कंडिका-7 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

संकल्प की कंडिका	पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7.	<p>“आधार आधारित National Payments Corporation of India Linked (NPCI Linked) Public Financial Management System (PFMS) द्वारा लाभुक छात्र-छात्राओं को उनके बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि अंतरित की जायेगी।”</p>	<p>छात्रवृत्ति की राशि Direct Benefit Transfer के माध्यम से छात्र के Aadhar Linked बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।</p>

2 k

OV

(v) पूर्व में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची से संबद्धता प्राप्त अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में Full Time Regular Course करने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाना था। अब इस योजना का लाभ झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Full Time Regular Technical Course में नामांकित छात्राओं को दिया जाना है। अतः संकल्प की कंडिका-8 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

संकल्प की कंडिका	पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
8.	“मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना” का लाभ झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची से संबद्धता प्राप्त अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में Full Time Regular Courses करने वाले छात्राओं को ही दिया जाएगा।”	<p>इस योजना का लाभ झारखण्ड के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में डिप्लोमा या स्नातक स्तर पर Full Time Regular Technical Course करने वाली छात्राओं को प्रदान किया जायेगा। इस योजना के प्रयोजन के लिए Full Time Regular Technical Course का अर्थ होगा:-</p> <p>(i) Engineering and Technology, Pharmacy, Architecture and Planning, Applied Arts and Crafts, Design, Management, Hotel Management and Catering Technology etc. के क्षेत्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी Full Time Regular Course,</p> <p>या</p> <p>(ii) State/ Central/ Private/ Deemed-to-be-University/Higher Education Institution established by an Act of Government of India द्वारा प्रस्तावित:-</p> <p>(a) उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे-Forensic Science, Computer Application, Cyber Security, Artificial Intelligence, Defense Studies, Police Technology, Maritime Security, Security Management etc. का कोई Full Time Regular Course,</p> <p>या</p> <p>(b) Technical Course के रूप में वर्गीकृत कोई भी Full Time Regular Course, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण व्यावहारिक घटक (Practical Component) हो तथा उसमें छात्राओं का नामांकन (Enrollment) कम हो।</p> <p>क्रम संख्या-(i) एवं (ii) में प्रस्तावित सभी Courses को झारखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (JCSTI) द्वारा जॉचोपरांत Full Time Regular Technical Course के रूप में अनुमोदित एवं अधिसूचित किया जायेगा। इसके पश्चात् उक्त Course योजना के Eligible Courses के रूप में शामिल होंगे। झारखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (JCSTI) के द्वारा प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र के पहले Eligible Courses की सूची अधिसूचित की जायेगी। इन Eligible Courses को योजना के वेब पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।</p> <p>किसी भी वर्ष में नए लाभार्थियों के रूप में चयनित छात्राएँ अपने शैक्षणिक कार्यक्रम की समाप्ति तक योजना के अन्तर्गत लाभार्थी बनी रहेंगी, भले ही पाठ्यक्रम को झारखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (JCSTI) द्वारा भविष्य के वर्षों के लिए अधिसूचित न किया गया हो, बशर्ते कि वे योजना में उल्लेखित छात्रवृत्ति के नवीनीकरण की शर्तों को पूरा करती हों।</p>

2 k

Q

(vi) योजना की राशि झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के माध्यम से दी जानी है। प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को योजना के उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया जाना है। अतः संकल्प की कड़िका-9 में निम्न संशोधन किया जाता है:-

संकल्प की कड़िका	पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान																																																																								
9.	<p>“इस योजना के सफल संचालन हेतु सभी प्रकार के निर्णय के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी:-</p> <table border="1"> <tr> <td>(a)</td> <td>निदेशक, तकनीकी शिक्षा</td> <td>-</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>(b)</td> <td>निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(c)</td> <td>आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(d)</td> <td>वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(e)</td> <td>अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(f)</td> <td>निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(g)</td> <td>निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनित सदस्य</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(h)</td> <td>सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा</td> <td>-</td> <td>सदस्य सचिव।</td> </tr> </table> <p>इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए उक्त उच्च स्तरीय समिति सभी प्रकार के दिशा-निर्देश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगी।</p>	(a)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा	-	अध्यक्ष	(b)	निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य	(c)	आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य	(d)	वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)	-	सदस्य	(e)	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)	-	सदस्य	(f)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य	(g)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनित सदस्य	-	सदस्य	(h)	सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा	-	सदस्य सचिव।	<p>“इस योजना के सफल संचालन हेतु सभी प्रकार के निर्णय के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी:-</p> <table border="1"> <tr> <td>(a)</td> <td>निदेशक, तकनीकी शिक्षा</td> <td>-</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>(b)</td> <td>निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(c)</td> <td>आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(d)</td> <td>वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(e)</td> <td>अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(f)</td> <td>निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(g)</td> <td>निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनित सदस्य</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(h)</td> <td>कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (JCSTI) या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि</td> <td>-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(i)</td> <td>सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा</td> <td>-</td> <td>सदस्य ।</td> </tr> <tr> <td>(j)</td> <td>प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्</td> <td>-</td> <td>सदस्य सचिव</td> </tr> </table> <p>उच्च स्तरीय समिति की शक्तियाँ निम्नवत् होंगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नए आवेदन एवं नवीनीकरण आवेदन करने की प्रारंभिक और अंतिम तिथि (Application Windows) का निर्धारण एवं अधिसूचित करना। 2. विभिन्न स्तरों पर आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए Turn-Around Time का निर्धारण करना। 3. इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए उक्त उच्च स्तरीय समिति सभी प्रकार के दिशा-निर्देश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगी। 4. योजना के अन्तर्गत छात्राओं की अहर्ता एवं छात्रवृत्ति की राशि को छोड़कर अन्य सभी प्रावधानों को संशोधन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति प्राधिकृत होगी। 5. समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। 	(a)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा	-	अध्यक्ष	(b)	निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य	(c)	आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य	(d)	वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)	-	सदस्य	(e)	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)	-	सदस्य	(f)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य	(g)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनित सदस्य	-	सदस्य	(h)	कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (JCSTI) या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य	(i)	सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा	-	सदस्य ।	(j)	प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्	-	सदस्य सचिव
(a)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा	-	अध्यक्ष																																																																							
(b)	निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य																																																																							
(c)	आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य																																																																							
(d)	वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)	-	सदस्य																																																																							
(e)	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)	-	सदस्य																																																																							
(f)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य																																																																							
(g)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनित सदस्य	-	सदस्य																																																																							
(h)	सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा	-	सदस्य सचिव।																																																																							
(a)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा	-	अध्यक्ष																																																																							
(b)	निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य																																																																							
(c)	आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य																																																																							
(d)	वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)	-	सदस्य																																																																							
(e)	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून)	-	सदस्य																																																																							
(f)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य																																																																							
(g)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनित सदस्य	-	सदस्य																																																																							
(h)	कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (JCSTI) या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य																																																																							
(i)	सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा	-	सदस्य ।																																																																							
(j)	प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्	-	सदस्य सचिव																																																																							





(vii) संकल्प की कड़िका-10 में निम्न संशोधन किया जाता है:-

संकल्प की कड़िका	पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
10.	“मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना” के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस योजना के संबंध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अवगत कराया जायेगा तथा योजना अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। आवेदकों को आवेदन संबंधी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जानकारी देने तथा कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार एक हेल्पलाइन भी जारी किया जायेगा। आवश्यकतानुरूप Call Centre का भी गठन किया जायेगा।”	“मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना” के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस योजना के संबंध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं को अवगत कराया जायेगा तथा योजना अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। आवेदकों को आवेदन संबंधी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जानकारी देने तथा कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार एक हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया जायेगा। आवश्यकतानुरूप Call Centre का भी गठन किया जायेगा। छात्राओं और उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी तकनीकी प्रश्नों का समाधान वेब पोर्टल विकसित करने वाली एजेन्सी के कर्मियों द्वारा किया जायेगा। सभी वित्तीय प्रश्नों का समाधान Nodal Disbursement Bank के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा। सभी नीति संबंधी प्रश्नों का समाधान उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव द्वारा किया जाएगा। वेब पोर्टल विकसित करने वाली एजेन्सी द्वारा इस योजना को वेब पोर्टल पर एक Ticketed Grievance Redressal Mechanism विकसित किया जायेगा।

(viii) इस योजना का लाभ झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Full Time Regular Course करने वाली छात्राओं को दिया जाना है। अतः योजना हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय संबंधी कड़िका-12 में निम्न संशोधन किया जाता है:-

संकल्प की कड़िका	पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
12.	“उक्त योजना हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये 8.1 करोड़ मात्र होगा। उक्त राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट अंतर्गत निम्नांकित शीर्ष- मांग संख्या-43- मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष-112/796- इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-AM-राज्य अंतर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान मद में उपबंधित बजट से किया जायेगा।”	“उक्त योजना हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये 37.50 करोड़ मात्र होगा।” उक्त राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट अंतर्गत निम्नांकित शीर्ष - मांग संख्या-43- मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष-112/796-इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-AM-राज्य अंतर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान मद में उपबंधित बजट से किया जायेगा।”

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग), मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष-112/796-इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-AM-राज्य अंतर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान मद में कुल रू0 32.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

4. संस्थान और विश्वविद्यालय स्तर पर आवेदनों का सुचारु सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए निम्नवत् Tiered Verification Mechanism होगा:-

Tier-1: HEI Nodal Officer (HEINO) :- सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (महाविद्यालय/पोलिटेक्निक) जो किसी राजकीय विश्वविद्यालय के अंगीभूत संस्थान या सम्बद्धता प्राप्त संस्थान के छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की प्रारंभिक जाँच संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान के HEI Nodal Officer (HEINO) द्वारा की जायेगी। ये HEINO उक्त शिक्षण संस्थान के प्राचार्य या निदेशक या उनके द्वारा नामित कोई शिक्षक होंगे। HEINO प्रत्येक छात्रा द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी को सत्यापित करेंगे और छात्रा का Bonafide certificate अपलोड करके आवेदन को मंजूरी देंगे। Bonafide certificate का प्रारूप संलग्न है। इसके अलावे HEINO का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि छात्रा मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना के साथ किसी अन्य राज्य/केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति

योजना का दोहरा लाभ न ले। Higher Education Institution established by an Act of Government of India या Unitary nature के State/Private/Central/Deemed-to-be University जहाँ डिप्लोमा या स्नातक स्तर की पढ़ाई होती हो, के लिए HEINO की भूमिका उक्त विश्वविद्यालय/संस्थान के संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा निर्भाई जायेगी। (अनुलग्नक:-1)

Tier-2: District Level Verification Officer (DLVO):- संबंधित जिले के Additional Collector/ Additional Dy. Comissioner छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समावेशन संबंधी प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिए District Level Verification Officer (DLVO) होंगे। उक्त प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु District Level Verification Officer को वेब पोर्टल पर login सुविधा उपलब्ध होगी और उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बिना आवेदन को सत्यापित नहीं माना जायेगा। उच्च स्तरीय समिति इन प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए एक Turn-Around Time तय करेगी। प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक ऑटोमेटिक जाँच एवं सत्यापन के लिए नियमानुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा National Informatic Centre (राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र) के माध्यम से संचालित Jhar Sewa Portal का API Access प्रदान किया जायेगा।

Tier-3: University Nodal Officer :- HEINO एवं DLVO के द्वारा सत्यापन के उपरांत आवेदन की जाँच हेतु State/Private/Central/Deemed-to-be University/Higher Education Institutions established by an Act of Government of India के स्तर पर कुलपति/निदेशक द्वारा नामित University Nodal Officer होंगे। University Nodal Officer आवेदन के अंतिम सत्यापन पदाधिकारी होंगे और आवेदन की गहन जाँच करेंगे। University Nodal Officer द्वारा अनुमोदित सभी आवेदनों को छात्रवृत्ति के हस्तांतरण हेतु झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को भेजा जायेगा।

5. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों को Post Matric Scholarship योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। उक्त के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के अनुसार विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित की जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं के मध्य समन्वय एवं क्रियान्वयन आदि के बिन्दु पर विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक-29.12.2025 को एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें विभागीय प्रधान सचिव सहित सचिव, वित्त विभाग, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं आदिवासी कल्याण आयुक्त भी शामिल हुए। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत दोहरा लाभ किसी लाभार्थी को न मिले, इस बिन्दु पर विचार किया गया एवं निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

- (i) A Unified Scholarship Data Portal (USDP) shall be developed to act as the repository of all Scholarship beneficiaries across multiple Departments.
- (ii) Department of Scheduled Class, Scheduled Tribe, Minority and Backward Classes Welfare shall be the Nodal Department for development and maintenance of the USDP.
- (iii) The USDP shall be developed either by Jharkhand Space Applications Centre (JSAC) or Jharkhand Agency for Promotion of Information Technology (JAP-IT) as determined by the Nodal Department.
- (iv) On development of the USDP, the Nodal Department shall collect Scholarship Beneficiary related data from all concerned Departments and carry out a deduplication drive to ensure that beneficiaries availing multiple benefits can be identified.
- (v) Further, all Scholarship Portals being operated or to be operated by any Department must be linked through API access to the USDP, and payment to

any beneficiary shall be made only after due verification has been made regarding their non-duplicity.

- (vi) To carry out all the above-mentioned steps, the Department of Scheduled Class, Scheduled Tribe, Minority and Backward Classes Welfare shall create a detailed process flow and share it to all Departments for integration and data sharing.
- (vii) Until the development of USDP, the standalone Schemes and Web Portal of different Departments shall continue as per their exiting approved procedures, and the Department of Higher and Technical Education shall share the beneficiary data of Manki Munda Scholarship Scheme to the Department of Scheduled Class, Scheduled Tribe, Minority and Backward Classes Welfare for identification of duplicate candidates.

6. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-175, दिनांक-19.02.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-12.03.2026 में मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-02 त0शि0/योजना-01/2020...../

राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-02 त0शि0/योजना-01/2020...../

राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-02 त0शि0/योजना-01/2020...../

राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/सभी जिला कोषागार/उप कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-02 त0शि0/योजना-01/2020...../

राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-02 त0शि0/योजना-01/2020.....718/

राँची/दिनांक.....25/03/2026.

प्रतिलिपि:-विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड/Government Banking Manager, ICICI Bank, Jharkhand/कार्यकारी निदेशक, JCSTI, झारखण्ड/प्रशासनिक पदाधिकारी, JSHEC, झारखण्ड/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची/राज्य के सभी विश्वविद्यालय (निजी सहित) के कुलसचिव/सभी राजकीय/निजी/पी0पी0पी0 मोड पर संचालित अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/विभागीय PMU (CSC-SPV)/ विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट में प्रकाशनार्थ/श्री चन्दन कुमार, एम0आई0एस0 पदाधिकारी, तकनीकी सहायता समूह को विभागीय पोर्टल में अपलोड करने हेतु/विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।